पत्रांकः— 1 (यो0) व 9—08 / 2013 ..205 (यो0)

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

जितेन्द्र श्रीवास्तव,
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी

पटना, दिनांक 28/9/2016

विषयः— मुख्यमंत्री नवप्रोत्साहन योजना के तहत सभी विभागों के जिला स्तरीय कार्यालयों में Innovation Cell गठन करने के संबंध में।

प्रसंगः— योजना एवं विकास विभाग का पत्रांक 5278 दिनांक 12.09.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र एवं दिनांक 07.01.2016 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में राज्य नवप्रवर्तन परिषद् की कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की कंडिका 5 (ग) (छाया प्रति संलग्न) में लिये गये निर्णय के अनुसार मुख्यमंत्री नवप्रोत्साहन योजना के तहत सभी जिला स्तरीय कार्यालयों में Innovation Cell गठन करने का निदेश दिया गया है।

अतः इस संबंध में आप अपने जिलों में Innovation Cell के गठन की कार्रवाई अविलम्ब करते हुए प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना चाहेंगे।

अनुलग्नकः—यथोपरि।

विश्वासभाजन,

28/9

(जितेन्द्र श्रीवास्तव)
सचिव,
शिक्षा विभाग।

प्रतिलिपिः— आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/9

सचिव,
शिक्षा विभाग।

पत्रांकः– 1 (यो0) व 9–08/2013 205 (यो0)

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

जितेन्द्र श्रीवास्तव,
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी

पटना, दिनांक 28.9.2016

विषयः– मुख्यमंत्री नवप्रोत्साहन योजना के तहत सभी विभागों के जिला स्तरीय कार्यालयों में Innovation Cell गठन करने के संबंध में।

प्रसंगः– योजना एवं विकास विभाग का पत्रांक 5278 दिनांक 12.09.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र एवं दिनांक 07.01.2016 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में राज्य नवप्रवर्तन परिषद् की कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की कंडिका 5 (ग) (छाया प्रति संलग्न) में लिये गये निर्णय के अनुसार मुख्यमंत्री नवप्रोत्साहन योजना के तहत सभी जिला स्तरीय कार्यालयों में Innovation Cell गठन करने का निदेश दिया गया है।

अतः इस संबंध में आप अपने जिलों में Innovation Cell के गठन की कार्रवाई अविलम्ब करते हुए प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना चाहेंगे।

अनुलग्नकः–यथोपरि।

विश्वासभाजन,

28/9

(जितेन्द्र श्रीवास्तव)
सचिव,
शिक्षा विभाग।

79

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक यो04 / R.N.P-5/2015 5278 / यो0वि0,पटना,दिनांक 12 सितम्बर, 2016

प्रेषक,

डा0 अरविन्द कुमार,
संयुक्त निदेशक

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव
बिहार, पटना।

विषय: **मुख्यमंत्री नवप्रोत्साहन योजना के तहत सभी विभागों के जिला स्तरीय कार्यालयों में Innovation Cell गठन करने के संबंध में।**

प्रसंग: विभागीय पत्रांक 1934 / यो0वि0, दिनांक 12.04.2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि दिनांक 07.01.2016 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य नवप्रवर्त्तण परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की कंडिका 5(ग) में निर्णय लिया गया है कि सभी विभागों के जिला स्तरीय कार्यालयों में Innovation Cell का गठन किया जाय। इस संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया था जो सम्प्रति अप्राप्त है।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ विभाग के जिला स्तरीय कार्यालयों में Innovation Cell का गठन कराकर तत्संबंधी प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(डा0 अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक

16800
15-9-16

(69)

दिनांक 07.01.2016 को विकास आयुक्त, बिहार, की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य नवप्रवर्तन परिषद की कार्यकारणी समिति की प्रथम बैठक–सह– कार्यशाला की कार्यवाही :–

उपस्थितिः– परिशिष्ट–'क' पर सलंग्न।

बैठक में सर्वप्रथम प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग द्वारा विकास आयुक्त तथा उपस्थिति सभी सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि राज्य नवप्रवर्तन परिषद की कार्यकारिणी समिति की यह प्रथम बैठक है। राज्य नवप्रवर्तन परिषद की स्थापना योजना एवं विकास विभाग के संकल्प संख्या 1029 दिनांक 30.03.2011 द्वारा हुआ था। पुनः इसे योजना एवं विकास विभाग की अधिसूचना संख्या 4949 दिनांक 22.11.2013 द्वारा इस परिषद को विस्तारित किया गया एवं इसमें कार्यकारिणी समिति का भी प्रावधान किया गया। इस विस्तारित नवप्रवर्तन परिषद के अध्यक्ष माननीय मंत्री, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, दस विभागों के प्रधान सचिव--सदस्य तथा आठ गैर सरकारी सदस्य हैं। इसी तरह राज्य नवप्रवर्तन परिषद की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव, बिहार है तथा दस विभागों के प्रधान सचिव/सचिव, महानिदेशक, Centre for Good Goverance निबंधक, बिहार कॉन्सिल ऑफ साईन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय नवप्रवर्तन परिषद के प्रतिनिधि, Executive Director, टेरी, नई दिल्ली, TIFAC भारत सरकार के प्रतिनिधि, अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ, भारतीय उद्योग महासंघ के प्रतिनिधि तथा आठ ख्यातिप्राप्त गैर सरकारी सदस्य हैं। मुख्य सचिव, बिहार राज्य मुख्यालय से बाहर हैं, इसलिए आज की बैठक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित हो रही है।

बैठक में प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग द्वारा राज्य नवप्रवर्तन परिषद की अवधारणा तथा बिहार में नवप्रवर्तन के लिए किये गये प्रयासों पर Power Point प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रधान सचिव द्वारा राज्य नवप्रवर्तन परिषद की कार्यकारणी समिति के गठन के पीछे उद्देश्य की चर्चा करते हुए बताया गया कि इस समिति का मुख्य उद्देश्य नवप्रवर्तन के प्रोत्साहन हेतु अपेक्षित वित्तीय सहायता एवं प्लेटफार्म उपलब्ध कराने हेतु हर संभव कार्रवाई एवं प्रयास करना है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर सेमिनार, वर्कशॉप, व्याख्यानमाला का आयोजन करना है तथा वैसा तंत्र विकसित करना है जिससे नवाचार कार्य में संलग्न व्यक्तियों की पहचान की जा सके तथा उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। इसके लिए योजना एवं विकास विभाग के संकल्प संख्या 3638 दिनांक 07.07.2014 द्वारा मुख्यमंत्री नवप्रवर्तन योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रथमबार 200.00 लाख रूपये का बजट उपबंध भी स्वीकृत कराया गया है। इस नवप्रवर्तन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नवप्रवर्तन एवं नवप्रवर्तन संस्था को विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

इसके पश्चात् बैठक की अध्यक्षता कर रहे विकास आयुक्त की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गईः–

प्रधान सचिव
शिक्षा विभाग
बिहार, पटना 1025
07.01.16

अपर सचिव कोषांग
शिक्षा विभाग, बिहार पटना

(6.8)

1. **Innovation Cell के कार्यों की समीक्षा** :

नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार के सभी विभागों में Innovation Cell गठित करने हेतु अनुरोध किया गया था। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी तक 33 विभागों में Innovation Cell का गठन कर लिया गया है तथा लधु जल संसाधन विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, परिवहन विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत गठित नवप्रवर्तन कोषांग द्वारा कार्य भी करना प्रारंभ कर दिया गया है जो सराहनीय है। निर्णय लिया गया कि वैसे विभाग जिसमें अभीतक Innovation Cell का गठन नहीं हो पाया है उसमें अबिलम्ब Innovation Cell का गठन कर लिया जाय तथा विभागों में गठित Innovation Cell को क्रियाशील बनाया जाय।

(अनुपालन–संबंधित विभाग)

2. **आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में Research Incubation Centre की स्थापना** :

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के Aryabhatta Centre For Nano Science and Techonology इकाई द्वारा Incubation Centre की स्थापना हेतु परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसका बजट अनुमान 1000.48 लाख रूपये है।

श्री अनलकांत झा, अरिसस्टेन्ट प्रोफेसर, एण्ड इंचार्ज स्टेबलिशमेंट, Aryabhatta Centre For Nano Science and Technololgy द्वारा Nano Science and Technology तथा Incubation Centre के महत्व एवं क्रियाकलाप के संबंध में Power Point प्रस्तुतीकरण दिया गया। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि Incubation Centre की स्थापना हो जाने के बाद नवप्रवर्तक द्वारा किये गये कार्य की जॉच एवं प्रमाणीकरण (Testing and Certification) का कार्य सम्भव हो पायेगा एवं इसके आधार पर उन्हें आगे कार्य करने हेतु वित्तीय सहायता आसानी से प्राप्त हो सकेगी।

इस संबंध में यह सुझाव आया कि पहले मानव संसाधन विकास विभाग से यह जानकारी प्राप्त कर ली जाय कि उस विभाग द्वारा Incubation Centre स्थापना हेतु आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता दी जा सकती है अथवा नहीं क्योंकि इस विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता एवं अनुदान मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा ही दिया जाता है। यदि मानव संसाधन विकास विभाग Incubation Centre की स्थापना हेतु आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में असमर्थता प्रकट करती है तो इसके लिए मुख्यमंत्री नवप्रवर्तन प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु विचार किया जा सकता है।

(अनुपालन–योजना एवं विकास विभाग)

3. 12 नवप्रवर्तकों से प्राप्त प्रस्ताव पर चर्चा :

प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग द्वारा बताया गया कि विभाग को 12 नवप्रवर्तकों से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उनसे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detailed Project Report) की मॉग की गई है तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु उन्हें विभाग द्वारा गाईडलाइन्स भी उपलब्ध कराया गया है।

निर्णय लिया गया कि प्राप्त प्रस्तावों को विचारार्थ विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित Project Screening committee में रखा जाय। इस समिति की बैठक में संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को भी आमंत्रित किया जाय।

(अनुपालन–योजना एवं विकास विभाग)

4. State Innovation Forum एवं District Innovation Forum का विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण

State Innovation Forum एवं District Innovation Forum के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के संदर्भ में प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग द्वारा बताया गया कि वर्ष 2007 में जीविका द्वारा Bihar State Innovation Forum की स्थापना की गई। इसके द्वारा मुख्य रूप से दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, Rice Intensification प्रणाली, मधु उत्पादन एवं मखाना की खेती के क्षेत्र में कार्य किया गया है। उसके पश्चात् वर्ष 2013 में Bihar State Innovation Council के Collaboration से Bihar Innovation Forum-II की स्थापना की गई जिसके तहत 9 प्रमुख जीविकोपार्जन प्रक्षेत्रों को नवप्रवर्तकों हेतु चिन्हित कर कार्य किया गया है। चिन्हित प्रक्षेत्र निम्नवत है :–

- Agriculture
- Live Stock
- Financial Services
- Rural Energy
- ICT based solution
- Skill Development
- Non Farm Sector
- Access to Public Entitlements
- Access to Services

जीविका के अंतर्गत प्रत्येक जिला में District Innovation Forum गठित है जो छोटे एवं Grassroot नवप्रवर्तकों को सहयोग प्रदान कर रही है तथा नवप्रवर्तकों की पहचान हेतु प्रमण्डल स्तर पर कार्यशाला का भी आयोजन किया गया है।

(66)

5. प्रस्ताव :

कार्यकारणी समिति द्वारा सर्वसम्मिति से निम्नलिखित प्रस्तावों को पारित किया गया :–

(क) कार्यकारणी समिति में प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग को सदस्य बनाया जाय।

(ख) मुख्यमंत्री नवप्रोत्साहन योजना के तहत गठित Project Screening Committee में प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग को सदस्य बनाया जाय।

(ग) प्रत्येक विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय में Innovation Cell का गठन किया जाय।

(घ) सभी विभागों में किये गये नवप्रवर्तनों के लिए एक Write-up का प्रकाशन कराया जाय।

6. अन्यान्य :

(6.1) डा0 संजीव श्रीवास्तव, सदस्य कार्यकारिणी समिति द्वारा बैठक में अपना विचार व्यक्त किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि नवप्रवर्तन दो तरह के होते हैं – Process Innovation एवं Product Innovation। नवप्रर्तन को बढ़ावा देने हेतु Research and Development Institute की आवश्यकता है। साथ ही नवप्रवर्तकों द्वारा किये जाने वाले कार्यो की जॉच एवं प्रमाणीकरण हेतु Incubation Centre की भी आवश्यकता है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि Bihar Industries Association तथा उद्योग विभाग के अंतर्गत MSME के तहत Incubation Centre स्थापित हैं जिसकों सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। साथ ही नवप्रवर्तक द्वारा किये गये नवप्रवर्तन को बाजार उपलब्ध कराने हेतु कार्य करने की आवश्यकता है। उनके द्वारा बताया गया कि बुढ़ापे की दवा Indian Yellow जिसे British सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था जापान सरकार द्वारा उसपर कार्य किया गया है। अपने राज्य में भी इसपर कार्य किया जा सकता है।

कृषि प्रक्षेत्र में नवप्रवर्तकों को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण एवं सेमिनार का आयोजन करने की आवश्यकता है। श्री श्रीवास्तव से अनुरोध किया गया कि प्रशिक्षण एवं सेमिनार करने का लिखित विस्तृत प्रस्ताव यथाशीघ्र उपलब्ध करायें।

(अनुपालन–योजना एवं विकास विभाग)

(6.2) फोफेसर (डा0) सुजय कुमार गुहा, School of Medical Science and Technology, IIT, Kharagpur द्वारा अपने विचार व्यक्त कियें गये। उनके द्वारा बताया गया कि नवप्रवर्तन की कोई कमी नहीं है। लेकिन नवप्रवर्तन को अपनाने के लिए इच्छाशक्ति का अभाव है। साथ ही उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि तकनीकी योग्यताधारी युवाओं को एकत्रित कर एक Research company की स्थापना की जाय और सरकार Research करने हेतु इस कम्पनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये। उनके द्वारा प्रदुषण नियंत्रण हेतु किये गये नवप्रवर्तन की विस्तार से चर्चा की गई तथा उद्योग स्थापित करने हेतु भूमि अधिग्रहण की समस्या के समाधान हेतु सुझाव दिया गया कि Pillar के सहारे Air Space में उद्योग स्थापित किया जा सकता है तथा जमीन में आसानी से खेती की जा सकती है। इसी तरह कृषि क्षेत्र में प्रत्येक पेड़ एवं पौधों को उनके आवश्यकता के अनुसार खाद एवं पेस्टीसाइड की व्यवस्था की जा सकती है।

(6.3) मो0 सैदुल्लाह, गैर सरकारी सदस्य, कार्यकारणी समिति द्वारा अपने जीवन काल में किये गये नवप्रवर्तन संबंधी कार्यो को विस्तार से बताया गया।

(6.4) श्री उमेश प्रसाद वर्मा, गैर सरकारी सदस्य द्वारा Earthquake Early Warning System (EEWS) विषय पर Power Point प्रस्तुतीकरण किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि इसके द्वारा आसानी से भुकम्प के केन्द्र एवं तीव्रता का पता भूकम्प के पूर्व लगाया जा सकता है। ताईवान और जापान द्वारा इस प्रणाली को लागू किया जा चुका है। लेकिन अभीतक वित्तीय सहायता नहीं मिलने के कारण के इसका पेटेन्ट एवं प्रमाणीकरण नहीं करा सके हैं।

इस संबंध में निर्णय लिया गया कि विहित प्रपत्र में प्रस्ताव प्राप्त कर इसे Project Screening Committee के समक्ष विचारार्थ रखा जाए। इस समिति की बैठक में इस क्षेत्र के विशेषज्ञ एवं संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को भी आमंत्रित किया जाय।

(अनुपालन–योजना एवं विकास विभाग)

(6.5) डा0 अरविन्द कुमार चौधरी, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका द्वारा सुझाव दिया गया कि राज्य नवप्रवर्तन परिषद के अंतर्गत एक छोटा दल (Small Team) का गठन किया जाय जिसमें नवप्रवर्तन में अभिरूची रखनेवाले सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्य रहें। यह Team Task Oriented होना चाहिए। यह Team मुख्यमंत्री नवप्रोत्साहन योजना के Procedure, नवप्रवर्तकों के चयन की प्रक्रिया उसका Validation, Output इत्यादि के लिए विशेष रूप से कार्य करेगी।

निर्णय लिया गया कि योजना एवं विकास विभाग इस विषय पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत करे।

(अनुपालन–योजना एवं विकास विभाग)

(6.6) श्री पी0आर0 बसाक, वैज्ञानिक एवं प्रतिनिधि TIFAC, NEW DELHI द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किये गये। उनके द्वारा नवप्रवर्तन के Testing and Validation हेतु Incubation Centre की स्थापना पर जोर दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि नवप्रर्वन परिषद का अपना Website Portal होना चाहिए जिसपर नवप्रवर्तक तथा राज्य एवं अंतराष्ट्रीय स्तर की संस्थाएँ जो नवप्रवर्तन के कार्य में संलग्न हैं से संबंधित ऑकड़ों का आदान–प्रदान किया जा सकता है। साथ ही उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि एक क्षेत्र विशेष में कार्य करनेवाले नवप्रवर्तकों के बीच उचित समन्वय एवं Linkage भी स्थापित किया जाना चाहिए।

इस संबंध में निर्णय लिया गया कि योजना एवं विकास विभाग अपने IT Manager से अपेक्षित Website का निर्माण कराकर इसे host कराये।

(अनुपालन–योजना एवं विकास विभाग)

बैठक के अंत में विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि नवप्रवर्तकों की समस्या, आधारभूत संरचना, Incubation Centre की स्थापना तथा Task Oriented Small Group के गठन

(64)

के संबंध में जो भी सुझाव आये हैं वह काफी उपयोगी एवं स्वागत योग्य है। सरकार निश्चित रूप से इन सुझावों के क्रियान्वयन हेतु विचार करेगी।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

ह0/–
विकास आयुक्त
बिहार

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

ज्ञापांकः यो04/R.N.P-5/2015–315/यो0वि0, पटना, दिनांक 19 जनवरी, 2016
प्रतिलिपिः मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक 19/1/16

ज्ञापांकः यो04/R.N.P-5/2015–315/यो0वि0, पटना, दिनांक 19 जनवरी, 2016
प्रतिलिपिः सभी प्रधान सचिव/सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक 19/1/16

ज्ञापांकः यो04/R.N.P-5/2015–315/यो0वि0, पटना, दिनांक 19 जनवरी, 2016
प्रतिलिपिः महानिदेशक, सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस/निबंधक, बिहार काउंसिल ऑफ साइन्स एंड टेक्नॉलौजी/तकनीकी सूचना पूर्वानुमान तथा मूल्यांकन पर्षद (TIFAC) (भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का स्वायतशासी इकाई) के प्रतिनिधि/अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ/भारतीय उद्योग महासंघ के प्रतिनिधि को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक 19/1/16

ज्ञापांकः यो04/R.N.P-5/2015–315/यो0वि0, पटना, दिनांक 19 जनवरी, 2016
प्रतिलिपिः डा0 सुजय के0 गुहा, स्कूल ऑफ मेडिकल साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी, आई0आई0टी0, खड़गपुर–721302/श्री बी0 राजा राम, फ्लैट न0–205, 2–2–15, बी09, बिन्दु प्रेस्टिज, डी0डी0 कॉलोनी, हैदराबाद–500007/मो0 सैदुल्लाह, ग्राम–हरिजन छपरा, मठियाडीह, ढाका रोड, पो0–रूपडीह, जिला–पू0 चम्पारण (मोतिहारी) पिन कोड–845401/डा0 लीना श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक (टेरी), दरबारी सेठ ब्लॉक, हेबीटेट प्लेस, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003/श्री उमेश प्रसाद वर्मा, राज्य नवप्रवर्त्तन परिषद, शिक्षक MJK Govt. Girls Inter College, मोतिहारी (शोधकर्त्ता) मो0 नं.–09473289401/श्री संजीव श्रीवास्तव, फ्लैट न0–505, जैशकन रेजीडेंसी, जजेज कॉलोनी, बेली रोड, पटना/श्री सिद्धिनाथ पाण्डेय, 201 महिमा प्लेस, गोविन्द मित्रा रोड, पटना/श्री सुनील चौधरी, हाउस न0 22, डुप्लेक्स कॉलोनी, नियर सोनाली ऑटो, बाईपास रोड, विष्णुपुरी अनिसाबाद, पटना, 800002 गैर सरकारी सदस्य, राज्य नवप्रवर्तन परिषद को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक 19/1/16

(63)

दिनांक 07.01.2016 को 12.00 बजे मध्याह्न में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय स्थित सभा कक्ष में आहूत राज्य नवप्रवर्तन परिषद की कार्यकारिणी समिति की प्रथम बैठक की उपस्थिति विवरणी :–

क्र0	पदाधिकारी का नाम	पदनाम / विभाग
1	श्री शिशिर सिन्हा	विकास आयुक्त, बिहार
2	डॉ0 दीपक प्रसाद	प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग
3	श्री विनय कुमार	सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग
4	श्री अरविन्द कुमार चौधरी	सचिव, ग्रामीण विकास–सह–मु0का0 पदा0, जीविका
5	श्री सुरेश पासवान	विशेष सचिव, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग
6	श्री के0 सेन्थिल कुमार	अपर सचिव, शिक्षा विभाग
7	श्री देवनन्दन यादव	अपर सचिव, श्रम संसाधन विभाग
8	श्री अतुल सिन्हा	निदेशक विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
9	श्री आदित्य कुमार दास	निदेशक समाज कल्याण विभाग
10	श्री गजानन मिश्र	संयुक्त सचिव जल संसाधन विभाग
11	श्री सतीश चन्द्र मिश्र	मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
12	श्री विमल कुमार	संयुक्त उद्योग निदेशक
13	श्री सुनील कलरा	P.R Consultant Department of I.T
14	डा0 अनल कांत झा	ACNN, A.K.U, Patna
15	श्री पी0आर0 बसाक	TIFAC, Delhi
16	श्री महुआ राय चौधरी	प्रोजेक्ट–को–ओडिनेटर
17	श्री राम लाल खेतान	अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ
18	डा0 सुजय के0 गुहा	गैर सरकारी सदस्य
19	श्री बी0 राजा राम	गैर सरकारी सदस्य
20	मो0 सैदुल्लाह	गैर सरकारी सदस्य
21	श्री उमेश प्रसाद वर्मा	गैर सरकारी सदस्य
22	श्री संजीव श्रीवास्तव	गैर सरकारी सदस्य
23	श्री सुनील चौधरी	गैर सरकारी सदस्य